उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar-Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001
CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या–749–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020–3(48)ई0एम0–03 / 2010

दिनांक: 23 जुलाई, 2020

आदेश

श्री भगवती लाल (श्रीवास्तव), तत्कालीन अवर अभियन्ता (वरिष्ठता क्रमांक–4932), विद्युत वितरण खण्ड, वाराणसी को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, वाराणसी द्वारा श्री सुबास, पुत्र झुरू, जनपद–वाराणसी से दिनाँक 02.05.2006 को रुपये 20,000.00 की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध थाना–लंका, जनपद–वाराणसी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–7 / 13(2) के अन्तर्गत मु0अ0सं0 88 / 2006 दर्ज हुआ।

उक्त के दृष्टिगत, श्री भगवती लाल को उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप सं0–1587–ए / वि0वि0मं0(वा) / पी–2 / 699, दिनांक 10.07.2006 द्वारा निलम्बित किया गया एवं कालान्तर में कार्यालय ज्ञाप सं0–2051–ए / वि0वि0मं0(वा0) / पी–2 / 699, दिनांक 17.08.2006 द्वारा पुनर्पदस्थापित किया गया।

उक्त श्री भगवती लाल के प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना उपरान्त, पुलिस द्वारा प्रेषित किये गये आरोप पत्र के आधार पर, श्री भगवती लाल के विरूद्ध मा0 न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण, वाराणसी में धारा–7 / 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विशेष वाद सं0–43 / 2007 पंजीकृत हुआ।

कालान्तर में, मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश स0–2631 / अनु0(4) / टी–1 / सीईएच, दिनांक 15.09.2007 द्वारा उक्त श्री भगवती लाल के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

यह कि श्री भगवती लाल, सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत होकर, कारपोरेशन की सेवा से दिनाँक 31.07.2011 को सेवानिवृत्त हो गये थे, अतः कारपोरेशन के पत्र सं0–2933–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2011–3(48)ई0एम0–03 / 2010, दिनांक 08.09.2011 द्वारा उन्हें अनन्तिम पेंशन (Provisional Pension) स्वीकृत करते हुये, उनके अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों को रोक दिया गया।

कालान्तर में, मा0 विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0), वाराणसी द्वारा उक्त श्री भगवती लाल के विरूद्ध दिनाँक 21.09.2016 को निम्नांकित आदेश दिये गये :–

"....अभियुक्त भगवती लाल श्रीवास्तव को धारा–7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 / – (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे तथा धारा 13(2) भ्र0नि0 अधिनियम के अन्तर्गत 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 / – (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे। सभी सजायें एक साथ चलेंगी।"

मा0 विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0), वाराणसी द्वारा पारित उक्त आदेशों के दृष्टिगत, श्री भगवती लाल (2010048), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरूद्ध सी0एस0आर0 के प्रस्तर–351ए के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये, उन्हें कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2933–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2011–3(48)ई0 एम0–03 / 2010, दिनांक 08.09.2011 द्वारा स्वीकृत की गयी अनन्तिम पेन्शन सम्बन्धी आदेश को वापस (Withdraw) लेते हुये, भविष्य हेतु उनकी पेन्शन को एतदद्वारा रोका (Withhold) जाता है।

उक्त के अतिरिक्त, श्री भगवती लाल (2010048), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता को किसी भी प्रकार के सेवानैवृत्तिक लाभ भी अनुमन्य नहीं होंगे।

(एम. देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–749(1)–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020, दिनांकः 23 जुलाई, 2020.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि मुकदमा अपराध सं0–88 / 2006, धारा–7 / 13(2) भ्र0 नि0 अ0, थाना–लंका, जनपद–वाराणसी से सम्बन्धित विशेष वाद सं0–43 / 2007, उ0प्र0 सरकार बनाम भगवती लाल श्रीवास्तव में मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक), वाराणसी के निर्णय दिनांक 21.09.2016 (छायाप्रति संलग्न) के पश्चात श्री भगवती लाल (श्रीवास्तव), तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.2011) सहायक अभियन्ता के अनन्तिम पेंशन प्राधिकार पत्र को निरस्त कर यथोचित आदेश कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी को प्रदान कर कृत कार्यवाही से अविलम्ब अधिशासी प्रबन्ध अनुभाग–03 को अवगत कराना सुनिश्चित करें:–

अति आवश्यक

1. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

संलग्नकः यथोपरि।

आज्ञा से,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)

संख्या–749(2)–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020, तद् दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बद्ध निजी सचिव।
2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बद्ध निजी सचिव।
3– निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बद्ध निजी सचिव।
4– निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ। (पंजीकृत)
5– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
6– अपर सचिव (तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को आदेश सं0–2631 / अनु0(4) / टी–1 / सीईएच, दिनांक 15.09.2007 के सम्बन्ध में। (पंजीकृत)
8– अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी को कार्यालय ज्ञापन सं0–2051–ए / वि0वि0मं0(वा0) / पी–2 / 699, दिनांक 17.08.2006 के सन्दर्भ में।
9– उपसचिव (अ0प्र0–07), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10– अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
11– श्री भगवती लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, मैसर्स रोशी सीमेन्ट एजेन्सी, वार्ड नं0–8, पराहू पुर, मुगलसराय, जनपद–चन्दौली। (पंजीकृत)
12– कट फाइल।

आज्ञा से,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)